

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/58417/BJN/BIJNOR/360/CFO

दिनांक: 04-08-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SUN SHINE PUBLIC SCHOOL VILL FAZALPUR TABELA NAJIBABAD TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **414-200, NAJIBABAD TO KOTWALI ROAD, NAJIBABAD** तहसील - **NAJIBABAD**, प्लॉट एरिया **5405 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1905.30** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	2	0	8.10 mt.


हे। भवन का अधिभोग मैसर्स **SUN SHINE PUBLIC SCHOOL VILL FAZALPUR TABELA NAJIBABAD TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **09-08-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SEEMA DEVI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-08-2022** से **09-08-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **SUN SHINE PUBLIC SCHOOL VILL FAZALPUR TABELA NAJIBABAD TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SUN SHINE PUBLIC SCHOOL VILL FAZALPUR TABELA NAJIBABAD TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : उक्त भवन वर्ष 2015 का निर्मित एवं पूर्व से मान्यता प्राप्त है। उक्त भवन शासनादेश संख्या 18 /छ:-पु०-8-2022 /905-34-201 टी० सी० दिनांक 07-01-2022 की श्रेणी के अंतर्गत है। उक्त भवन में मानकों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हर समय कार्यशील दशा में रखनी अनिवार्य होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(Ajay Kumar Sharma)

[F9B7EC75E059D47C2AAE04785947AF0BBCCDDF6D1]

10-08-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-08-2022
स्थान : BIJNOR